भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2658

11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

2658. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

श्री रविन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में झारखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले सहित विभिन्न राज्यों, विशेषकर गिरिडीह और सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के कितने गोदाम संचालित हो रहे हैं;

(ख) इन गोदामों की क्षमता कितनी है और क्या इनमें भंडारित अनाज क्षमता से अधिक हैं जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में अनाज सड़ जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हरियाणा सहित देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर गिरिडीह और सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में नए/अधिक गोदामों के निर्माण/स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): दिनांक 01.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 2181 गोदाम (स्वामित्व वाले-570 और किराए पर लिए गए-1611) वर्तमान में उत्तर प्रदेश, झारखंड और हरियाणा राज्यों सहित विभिन्न राज्यों में संचालित हो रहे हैं। राज्यवार विवरण अनुबंध में हैं।

इसके अलावा, सोनीपत राजस्व जिला (हरियाणा) के तहत कुल दस (10) गोदाम और गिरिडीह राजस्व जिला (झारखंड) में 03 गोदाम वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। विवरण निम्नानुसार हैं।

...2/-

(आँकड़े टन में)

राज्य	जिला	गोदाम का नाम	क्षमता
हरियाणा	सोनीपत	एफएसडी सोनीपत (स्वामित्व वाला गोदाम)	11178
		एचएआईसी मुरथल	30000
		सीडब्ल्यूसी बरही	19686
		सीडब्ल्यूसी सोनीपत	20000
		हैफेड ए.डी.कॉम्प्लेक्स, माहरा, सोनीपत	35700
		साइलो मोहना	50000
	गोहाना	एफएसडी गोहाना (स्वामित्व वाला गोदाम)	26448
		पार्वती देवी, जीएचएन	19590
		अनुराधा रुखी, जीएचएन	5561
		अनुराधा रामगढ़	55000
झारखंड	गिरिडीह	पीईजी, सूरिया	5000
		पीईजी, गिरिडीह	10000
		पीईजी, गिरिडीह-II	5000

(ख) से (ग): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए खरीद के बाद खाद्यान्न (मुख्य रूप से गेहूं और चावल) का भंडारण करता है और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक को बनाए रखता है। दिनांक 01.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय पूल में खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए एफसीआई और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल कवर्ड स्टोरेज क्षमता 515.12 लाख टन के भंडारित स्टॉक की तुलना में 776.59 लाख टन है।

गोदामों में खाद्यान्नों का भंडारण उसकी भंडारण क्षमता के अनुसार किया जाता है। भंडारण क्षमता के कारण कोई भी खाद्यान्न सड़ता नहीं है। इसके अलावा यह भी उल्लेख किया जाता है कि एफसीआई मुख्य रूप से खाद्यान्नों की गेहूं, चावल और धान की जिंसो को देखता है। यह सरकार की विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के तहत वितरण हेतु लंबी अवधि के लिए बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का भंडारण और प्रबंधन करता है। यह देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बफर और रणनीतिक रिजर्व भी बनाए रखता है। इस प्रक्रिया के दौरान, विभिन्न कारकों मुख्य रूप से चक्रवात, बाढ़, वर्षा आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत ही नगण्य मात्रा में उपार्जित खाद्यान्न न जारी करने योग्य (क्षतिग्रस्त) रहता है।

उठान की मात्रा की तुलना में जारी न करने योग्य खाद्यान्नों के उपार्जन का वर्षवार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

...3/-

एफसीआई में जारी न करने योग्य खाद्यान्नों का उपार्जन			
वर्ष	जारी न करने योग्य उपार्जित खाद्यान्न (आंकड़े लाख टन में)	उठान की मात्रा (आंकड़े लाख टन में)	उठान की मात्रा की तुलना में क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का प्रतिशत
2019-20	0.019	455.130	0.004
2020-21	0.018	688.566	0.003
2021-22	0.017	766.081	0.002
2022-23	0.016	675.826	0.002
2023-24	0.103	470.71	0.022
2024-25 (दिनांक 01.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार)	0.031	234.93	0.013

(घ) से (ड.): एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रचालनों पर निर्भर करती है। एफसीआई लगातार भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है और आवश्यकता और भंडारण अंतराल के आकलन के आधार पर, हरियाणा सहित अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से भंडारण क्षमताएं निर्मित/किराए पर ली जाती हैं:-

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत साइलो का निर्माण
2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम।
3. केंद्रीय क्षेत्र योजना "भंडारण और गोदाम"
4. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
5. निजी वेयरहाउसिंग स्कीम (पीडब्ल्यूएस)
6. संपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण

विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत गोदामों के निर्माण के लिए निर्धारित समय-सीमा संविदा के अनुसार है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2658 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 1 नवंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार एफसीआई के पास उपलब्ध भंडारण इकाई का राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	क्षेत्र	एफसीआई के स्वयं की	एफसीआई द्वारा किराए पर लिया गया और प्रबंध किया गया								कुल एफसीआई (स्वयं के + किराए पर ली गई)
			सीडब्ल्यूसी	राज्य सरकार	एसडब्ल्यूसी	पीईजी	साइलो किराए पर लिए गए	पीडब्ल्यूएस 2010	अन्य/ निजी पार्टियां	कुल किराए पर	
1	Bihar/बिहार	11	8	1	28	17	2	5	3	64	75
2	Jharkhand/झारखण्ड	7	3	0	7	25	0	4	1	40	47
3	Odisha/ओडिशा	19	6	2	12	0	0	0	0	20	39
4	West Bengal/पं.बंगाल	22	2	0	1	0	1	2	1	7	29
5	Sikkim/सिक्किम	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	कुल पूर्वी अंचल	**60**	**19**	**3**	**49**	**42**	**3**	**11**	**5**	**132**	**192**
6	Arunachal Pradesh/अरुणाचल प्रदेश	14	0	0	1	0	0	0	2	3	17
7	Assam /असम	21	3	0	4	1	1	0	5	14	35
8	Manipur/मणिपुर	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
9	Nagaland/नागालैंड	5	1	0	0	0	0	0	0	1	6
10	Meghalya/मेघालय	4	0	0	3	2	0	0	0	5	9
11	Mizoram/मिजोरम	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
12	Tripura/त्रिपुरा	5	1	1	1	0	0	0	0	3	8
	कुल पूर्वोत्तर अंचल	**64**	**5**	**1**	**9**	**3**	**1**	**0**	**7**	**26**	**90**
13	Delhi/दिल्ली	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
14	Haryana/हरियाणा	35	14	6	74	93	6	6	3	202	237
15	Himachal Pradesh/हिमाचल प्रदेश	9	3	0	1	7	0	0	2	13	22
16	Jammu & Kashmir/जम्मू एंड कश्मीर	12	1	1	0	9	0	2	0	13	25
17	Ladakh/लद्दाख	4	0	0	0	3	0	0	0	3	7
18	Punjab/पंजाब	121	22	1	246	167	7	1	18	462	583
19	Chandigarh/चंडीगढ़	0	6	0	0	0	0	0	0	6	6
20	Rajashthan/राजस्थान	39	10	1	21	3	0	68	8	111	150
21	Uttar Pradesh/उत्तर प्रदेश	49	25	5	97	63	1	3	1	195	244
22	Uttarkhand/उत्तराखंड	4	5	0	9	1	0	0	0	15	19
	कुल उत्तरी अंचल	**279**	**86**	**14**	**448**	**346**	**14**	**80**	**32**	**1020**	**1299**
23	Andhra Pradesh/आंध्र प्रदेश	22	2	0	19	0	0	0	0	21	43
24	And. & Nico./अंडमान एंड निकोबार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Karnatka/कर्नाटक	21	7	0	20	2	1	7	0	37	58
26	Lakshdweep/लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	Kerela/केरल	23	1	0	0	0	0	0	0	1	24
28	Tamilnadu/तमिलनाडु	10	7	1	11	5	2	0	0	26	36
29	Padducherry/पद्दुचेरी	4	2	0	2	0	0	0	0	4	8
30	Telangana/तेलंगाना	11	9	0	46	1	0	16	0	72	83
	कुल दक्षिणी अंचल	**93**	**28**	**1**	**98**	**8**	**3**	**23**	**0**	**161**	**254**
31	Chattisgarh/छत्तीसगढ़	21	8	3	72	4	0	1	1	89	110
32	Gujarat/गुजरात	14	11	2	0	0	3	6	3	25	39
33	D&NH and D&D/दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Madhya Pradesh/मध्य प्रदेश	25	2	0	106	1	0	1	1	111	136
35	Maharashtra/महाराष्ट्र	13	5	0	23	2	1	15	1	47	60
36	Goa/गोवा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	कुल पश्चिमी अंचल	**74**	**26**	**5**	**201**	**7**	**4**	**23**	**6**	**272**	**346**
	G. Total/कुल योग	**570**	**164**	**24**	**805**	**406**	**25**	**137**	**50**	**1611**	**2181**